

कार्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाक्ट) नरार, मधुबनी।

पत्रांक 135 नरार मधुबनी, दिनांक 05-03-2021


नामांकन / काउन्सलिंग सूचना

विभागीय आदेशांक 315 दिनांक 18.12.2020 के आदेशालोक में D.El.Ed. 2020-22 में नामांकन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 70 दिनांक 04.02.2021 के द्वारा जारी की गई सूचना के आशोक में नामांकन कार्यक्रम (08.02.2021 से 11.02.2021 तक) के प्रथम दिन 08.02.2021 को मात्र बार (04) नामांकन हुए ही थे कि जन शिक्षाएत के आशोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक 401 दिनांक 08.02.2021 के द्वारा नामांकन प्रक्रिया को अगले आदेश तक रोक दिया गया। मूल नामांकन समिति द्वारा जीव कमिटी के निर्देश में प्रथम श्रेणी सूची, प्रथम चयन सूची की गहन जांच की गई। तदोपरान्त संशोधित प्रथम श्रेणी सूची एवं संशोधित प्रथम चयन सूची तैयार की गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा नामांकन हेतु विभाग से अनुमति की मांग की गई।

अतः निर्देशक, शोध एवं प्रशिक्षण, विहार पटना के द्वारांक 88 दिनांक 03.03.2021 के द्वारा प्राप्त आदेशालोक में नामांकन की तिथि दिनांक 08.03.2021 से 13.03.2021 तक निर्धारित की जाती है।

नामांकन के समय निम्नांकित मूल प्रमाण-पत्रों एवं शर्तों के साथ उपस्थित होने -

1. जीनरलडुन आउटपुट रिपोर्ट की प्रती।
2. मैट्रिक परीक्षा पास करने का मूल प्रमाण-पत्र एवं अंक-पत्र।
3. इन्टर परीक्षा का मूल अंक-पत्र एवं इलाज-पत्र।
4. आकाशिक प्रमाण-पत्र का मूल प्रती। (एक वर्ष से अधिक पुराना न हो)
5. आरक्षित कोटि एवं विशेष आरक्षणकाल वाले अभ्यर्थी, समान पदाधिकारी से निर्गत जाती/विभागागत प्रमाण-पत्र की मूल प्रती।
6. अंतिम शिक्षण संस्थान से निर्गत विद्यालय/महाविद्यालय परिवर्तन प्रमाण-पत्र।
7. नामांकन शुल्क के रूप में सामान्य शिक्षा वर्ग, अथवा शिक्षा वर्ग के अभ्यर्थी के द्वारा 11800/- (एकलक्ष अठार सौ बीस रुपये) एवं अनुभू प्रती/जन प्रती एवं विभाग अभ्यर्थियों के द्वारा 7000/- (सात हजार रुपये) का भुगतान अनिवार्य होगा।
8. सभी मूल प्रमाण-पत्रों की 3x-अधिकमात्रित छायाप्रती का दो सेट, तीन पासपोर्ट साईज फोटो एवं सभी मूल प्रमाण-पत्र एवं अभिलेख दो फर्मास कोलार में जमा करेंगे।
9. साक्षात्कार के क्रम में या उसके बाद प्रमाण-पत्रों में कमी पाने जाने की स्थिति में नामांकन के एवं करे पर कमी हुए कानूनी कार्यवाई की जाएगी।
10. अभ्यर्थी द्वारा नामांकन शुल्क के रूप में जमा की गयी राशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी।
11. प्रमाण-पत्र मूल रूप में अनुसूचित पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी /मादरी साक्षात्कार प्राप्त जारी की गई कि वे द्वारा दिए गए अंक पर एवं सभी प्रमाण-पत्र सही हैं तथा वे जमा किसी संस्थान में सम्मिलित नहीं हैं। यदि किसी विन्दुओं पर शक पैदा जाता है तो वे जमा रिक्ति सम्भार करवाई की जाएगी।
12. कानूनी सभी शर्तों को मूल करने पर अपना नामांकन औपचारिक रूप से किया जायेगा।
13. मूल प्रमाण पत्र की समाप्ति 01.01.2020 को अंतिम मानकर होगा तथा इन्टरनेटिड की अंतिम 21.03.2020 के पूर्व की गणना होगी। निर्देशक, शोध एवं प्रशिक्षण, विहार विभाग, विहार सरकार पटना के पत्रांक 317 दिनांक 04.12.2020 के आशोक में (1) सेट - विद्यालय/महाविद्यालय परिवर्तन प्रमाण-पत्र के साथ सभी मूल प्रमाण-पत्र नामांकन के समय जमा अनिवार्य है।


15.03.2021

प्रमुख

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
(डाक्ट) नरार, मधुबनी।